अर्द्ध0शा0 परिपत्र संख्याःडीजी– 17 /2014

ए0एल0बनर्जी,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1–तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकःलखनऊःमार्च 13,2014

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। विगत में ऐसी कई घटनाएँ प्रकाश में आयी हैं कि वरिष्ठ नागरिकों खासकर अकेले रहने वाले बुजुर्ग दम्पत्तियों के यहाँ चोरी, डकैती तथा हत्या जैसी जघन्य घटनायें घटित हुई हैं। घटित घटनाओं की विवेचना के समय यह बात उभर कर आयी कि अधिकांश घटनाएँ उनके नजदीकी, घरेलू ड्राईवर, चौकीदार, किरायेदार एवं कारीगरों द्वारा गृह स्वामी/परिजन की हत्या करके लूटपाट एवं अन्य प्रकार की घटनाएँ कारित की गयी हैं।

2. वरिष्ठ नागरिकों के साथ हो रहे अपराध एक चिन्ता का विषय है। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा पुलिस का उत्तरदायित्व हैं। वरिष्ठ नागरिकों के साथ अपराध करने वाले ऐसे अपराधियों का पता उपलब्ध न होने के कारण उनके विरूद्व कानूनी कार्यवाही करना सम्भव नहीं हो पता है और अपराधी की पहचान होने के बाद भी विवेचनायें लम्बित रहती हैं।

3. वरिष्ठ एवं अकेले रहने वाले बुजुर्ग/दम्पत्ति समाज के सम्मानित नागरिक हैं, जिनकी सुरक्षा हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देते हुये प्रभावी कार्यवाही की जायः–

1. घरेलू नौकरों, ड्राईवर, चौकीदार, किरायेदार एवं कारीगरों आदि के चरित्र सत्यापन के लिए प्रचार–प्रसार कराया जाय।
2. वरिष्ठ नागरिकों के प्रति पुलिस का व्यवहार अच्छा नहीं रहता है। वरिष्ठ नागरिक जब अपने घरेलू नौकरों, ड्राईवर, चौकीदार, किरायेदार के सत्यापन के लिये सम्बन्धित थाने में जाते हैं, तो उन्हें कई–कई दिनों तक थानें के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। ऐसी घटना संज्ञान में आने पर सम्बन्धित पुलिस अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाय।
3. वरिष्ठ नागरिकों के संदर्भ में उनके द्वारा पंजीकृत कराये जाने वाले सभी अपराधिक घटनाओं का पंजीकरण तत्काल सम्बन्धित थाने पर किया जाए। इस सम्बन्ध में प्रत्येक थाने पर पृथक रूप से एक Help Desk भी संचालित की जाए, जो वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यवाही करेगी। सम्बन्धित थाना प्रभारी का भी यह दायित्व होगा कि वह प्रतिदिन वरिष्ठ नागरिकों से सम्बन्धित अभियोग/प्रकरण की समीक्षा स्वयं कर त्वरित निस्तारण हेतु कार्यवाही करेंगें।
4. बीट आरक्षीगण अपने बीट में निवास करने वाले सभी वरिष्ठ नागरिकों की सूची बनायेगें, विशेषकर ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो अकेले रह रहे हैं। प्रति सप्ताह इस प्रकार से चिन्हित नागरिकगण से बीट आरक्षीगण स्वयं जाकर मिलेंगें एवं उनकी कुशलता ज्ञात करेंगें। यदि वह किसी प्रकार की समस्या से अवगत कराते हैं तो अविलम्ब थाना प्रभारी को संज्ञानित कराते हुए नियमानुसार समस्याओं का समाधान करायेंगें।
5. बुजुर्ग/वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा एवं अन्य प्रकार की सुविधाओं का लाभ लेने हेतु जिले के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर का उपयोग करने की सुविधा दी जाय।
6. बीमारी की दशा में पुलिस एम्बुलेन्स की सेवा के अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा संचालित एम्बुलेन्स की व्यवस्था हेतु जानकारी दी जाय। अधीनस्थों को इस ओर और अधिक संवेदनशील किया जाय।

7. बुजुर्ग/वरिष्ठ नागरिकों के हितों के सम्बन्ध में कार्य करने वाली स्वयंसेवी/समाजसेवी संस्थाओं से समन्वय स्थापित किया जाय। साथ ही जनपदों में अवस्थित वरिष्ठ नागरिक सेल को और अधिक संवेदनशील बनाया जाय।
8. समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुमन्य कल्याणकारी सुविधाओं आदि की जानकारी करायी जाय।
9. प्रायः अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिक अथवा वरिष्ठ दम्पत्ति कुछ समय के लिए घर को छोड़कर कहीं अन्यत्र भी जाते रहते हैं, ऐसी स्थिति में बीट के उ0नि0/चौकी इंचार्ज/बीट आरक्षीगण का यह दायित्व होगा कि रात्रि गश्त व चेकिंग द्वारा यह सुनिश्चित करें कि वरिष्ठ नागरिक के घर में चोरी आदि की घटनाएं न हो जाए।
10. ट्रेनों में सफर करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को किसी प्रकार की अवसुविधा होने पर जी0आर0पी0 पुलिस द्वारा उन्हें अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाय।
11. वरिष्ठ नागरिक यदि अपनी शिकायत लेकर सम्बन्धित थानें पर आते हैं, तो उनकी समस्याओं को गम्भीरता से सुनकर उनकी समस्याओं का सहानुभूतिपूर्वक समयबद्व निराकरण कराया जाय और उनके साथ थाने में अच्छा व्यवहार किया जाय।

इस परिपत्र के माध्यम से सभी जनपदीय पुलिस अधीक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि जनपदीय स्तर पर जनपद के राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में कार्ययोजना बनाकर एक **"वरिष्ठ नागरिक सेल"** की स्थापना करें, जो कि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा/समस्या निवारण/अन्य सुविधाओं के संदर्भ में आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करा सके।

4. **मुझे आशा एवं विश्वास है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से हर स्तर पर पालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

भवदीय,

( ए0एल0बनर्जी ) 13/03/14

**समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से)**
**प्रभारी जनपद/रेलवे,**
**उत्तर प्रदेश।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0, लखनऊ।
2.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0.प्र0।
3.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।